

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

दिनांक 08/05/24 बनाव श्रीत सिंह आदि
 क्रम संख्या 11 / 2015 अन्तर्गत धारा 212 R1A नाम गुरदमाल सिंह आदि

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
25/04/24	अधिवक्तागण उपस्थित। उपायपक्ष के द्वारा मूलवाद में राशीनामा पेश किया गया है। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 08/05/24 को पेश हो। <i>Sub</i>	
08/05/24	अधिवक्तागण उपस्थित। हस्तगत प्रकरण के मूलवाद का निश्चय हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्राथमिकता का प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 212 R1A खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निवेदना दिनांक 28/12/15 निरस्त की जाती है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल वफत हो। <i>Sub</i>	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्री करणपुर

